आयोग का गठन, उद्देश्य और कार्यप्रणाली

1 **आयोग का गठन** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013की धारा 16 के अंतर्गत राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण, मानीटर करने और उसका पुनर्विलोकन करने के प्रयोजन से राज्य खाद्य आयोग के गठन का प्रावधान है। मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-7-35-2013-उन्तीस-1, दिनांक 11 अप्रैल, 2017 द्वारा मध्यप्रदेश खाद्य आयोग का गठन किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 (2013 का 20) की धारा 40 की उपधारा (1) तथा (2) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्य प्रदेश शासन ने अधिसूचना क्रमांक एफ 7-12/2016/उन्तीस-1, दिनांक 17मई, 2017 द्वारा ''मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम, 2017 '' जारी किये हैं। इस नियम के खण्ड 2 (च) में ''मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग'' को परिभाषित किया गया है।

2 आयोग के गठन का उद्देश्य

राज्य खाद्य आयोग को प्रदेश में संचालित चार मुख्य योजनाओं के मूल्यांकन में समीक्षा का दायित्व सौंपा गया है, यथा-

1. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली,
2. पूरक पोषण आहार कार्यक्रम,
3. प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (मध्यान्ह भोजन) एवं
4. प्रधानमंत्री मातृत्व कल्याण योजना(प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना), के मूल्यांकन एवं समीक्षा का दायित्व सौंपा गया है।

आयोग इन योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित जन सामान्य से प्राप्त शिकायतों और स्व-प्रेरणा से भी शिकायत की जांच कर सकता है। इन योजनाओं को और सुगम व प्रभावी रूप से संचालित करना एवं स्थानीय निकायों को सलाह देना भी आयोग के कार्यक्षेत्र में शामिल है। योजनाओं के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निराकरण करने के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर को जिला शिकायत निवारण अधिकारी घोषित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति या हितग्राही जिला शिकायत निवारण प्राधिकारी के आदेश से व्यथित होता है, तो वह आयोग को अपील कर सकता है।

ज्ञातव्य हो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013की धारा 3,4,5,6 के अंतर्गत हितग्राहियों को खाद्य सुरक्षा के लिये निम्नानुसार अधिकार दिये गये हैं :-

i. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पात्र परिवारों के व्यक्तियों द्वारा सहायता प्राप्त कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार,
ii. गर्भवती स्त्रियों, स्तनपान कराने वाली माताओं एवं 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों तथा कुपोषित बच्चों को पोषाहार सहायता,
iii. 14 वर्ष से कम उम्र के विद्यालय जाने वाले बालकों एवं बालिकाओं को पोषणीय सहायता – मध्यान्ह भोजन,
iv. गर्भवती स्त्री को मात्तृत्व कल्याण योजना (प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विहित प्रसूति लाभ के रुप में रुपये 6000/- दिये जाने का प्रावधान।

उक्त योजनाओं से बच्चों एवं महिलाओं को निम्नानुसार लाभान्वित किया जा रहा है :-

3 कार्यप्रणाली

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 16 (6) के अंतर्गत राज्य खाद्य आयोग के निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करता है -

(क) राज्य के संबंध में, इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मानीटर/निगरानी करना और उसका मूल्यांकन करना,
(ख) अध्याय 2 के अधीन उपबंधित हकदारियों के उल्लंघनों की, स्व–प्रेरणा से या शिकायत के प्राप्त होने पर जांच करना,

(ग) इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये राज्य सरकार को सलाह देना,

(घ) व्यक्तियों को इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट उनकी हकदारियों तक पूर्ण पहुंच बनाने के लिये समर्थ बनाने के संबंध में खाद्य और पोषण संबंधी स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये राज्य सरकार, सुसंगत सेवाओं के परिदान में अंतर्वलित उसके अभिकरणों, स्वायत्त निकायों और गैर सरकारी संगठनों को से परामर्श करना व सलाह देना,

(ड॰) जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना,

(च) वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, जो राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान–मण्डल के समक्ष रखी जायेगी |

(छ) इस संबंध में आवश्यक जानकारी एकत्र कर प्रसारित करना।

पूरक पोषण आहार कार्यक्रम

प्रदेश में 453 बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत 97,329 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं, जिसमें 06 वर्ष तक आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

(i) ग्रोथ मॉनीटरिंग (मासिक शारीरिक माप अभियान)

आंगनवाड़ी केन्द्र में प्रत्येक माह के 11 तारीख से 10 कार्य दिवसों में मासिक शारीरिक माप अभियान का आयोजन किया जाता है। उक्त आयोजन में जन्म से 06 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का उनके देखभालकर्ता के साथ बुलाकर उनका वजन एवं लंबाई/उँचाई लिया जाकर उनके पोषण स्तर का निर्धारण करने का कार्य किया जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा गंभीर कुपोषित बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर मासिक शारीरिक माप कर नियमित निगरानी करना, गृहभेंट कर उचित पोषण परामर्श प्रदान किया जाता है।

(ii) मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्द्धन कार्यक्रम (MMBASK) अंतर्गत गंभीर कुपोषित बच्चों का एकीकृत प्रबंधन

1. मासिक शारीरिक माप अभियान के दौरान चिन्हित अति गंभीर कुपोषित बच्चों (SAM) के उपचार एवं पोषण प्रबंधन हेतु प्रदेश में "मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्द्धन कार्यक्रम " (MMBASK) का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसके अंतर्गत चिन्हित बच्चों का ग्राम/शहरीस्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस के दौरान ए.एन.एम. द्वारा स्वास्थ्य जॉच कर चिकित्सकीय जटिलता का आंकलन कर भूख की जांच में फेल होने पर उन्हें नजदीकी पोषण पुनर्वास केन्द्र (एन.आर.सी.) में भर्ती हेतु रेफर करना।

2. एन.आर.सी. में भर्ती बच्चों के डिस्चार्ज उपरांत उन्हें पुन: समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन कार्यक्रम में जोड़कर उनका साप्ताहिक फॉलोअप सुनिश्चित करना।

3. चिन्हित सभी गंभीर कुपोषित बच्चों (MAM) का प्रति सप्ताह वजन कर उनका साप्ताहिक फॉलोअप किया जाना एवं परिवार को आवश्यक पोषण परामर्श हेतु गृहभेंट कर दिया जाना।

(iii) पूरक पोषण आहार कार्यक्रम

06 वर्ष तक आयु के बच्चे, गर्भवतीवधात्री (शिशुवति) माताओं की पहचान हेतु समुदाय के सभी परिवारों का सर्वेक्षण किया जाता है। आंगनवाडी के माध्यम से चिन्हित/पात्र हितग्राहियों को 06 प्रमुख सेवाएं प्रदान किये जाने का प्रावधान है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधान अनुरूप वर्ष में 300 दिवस पूरक पोषण आहार दिया जाना प्रावधानित है।

वर्तमान में आंगनवाडी केन्द्रों में पोषण ट्रेकर ऐप अंतर्गत पंजीकृत एवं आधार सत्यापित हितग्राहीवार प्रदाय पूरक पोषण हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार आहार एवं उससे प्राप्त होने वाले पोषण तत्वों की अनुमानित मात्रा एवं दर निम्नानुसार निर्धारित की गई है :-

क्र.	प्रवर्ग	स्वीकृत दर	भोजन का प्रकार (प्रति सप्ताह 06 दिवस हेतु)	प्रोटीन (ग्राम में)	कैलोरी (कि. कैलोरी में)
1	बच्चे (06 माह से 03 वर्ष तक)	रु. 8.00 प्रति हितग्राही प्रतिदिन	05 दिवस हेतु टेक होम राशन एवं प्रत्येक मंगलवार केन्द्र स्तर पर 01 दिवस हेतु नाश्ता एवं गर्म पका भोजन	12-15 ग्राम	500 कैलोरी

2.	बच्चे (03 वर्ष से 06 वर्ष तक)	रु. 8.00 प्रति हितग्राही प्रतिदिन	आंगनवाडी केन्द्र पर सप्ताह में कुल 06 दिवस (सोमवार से शनिवार तक) हेतु नाश्ता व गर्म भोजन	12-15 ग्राम	500 कैलोरी
3.	गंभीर कुपोषित बच्चे (06 माह से 06 वर्ष तक)	रु. 12.00 प्रति हितग्राही प्रतिदिन	गंभीर कुपोषण में चिन्हित होने पर बच्चे के सामान्य पोषण स्तर में आने तक	20-25 ग्राम	800 कैलोरी
4.	गर्भवती /धात्री माताएं	रु. 9.50 प्रति हितग्राही प्रतिदिन	05 दिवस हेतु टेक होम राशन एवं प्रत्येक मंगलवारकेन्द्र स्तर पर 01 दिवस हेतु गर्म पका भोजन	20-25 ग्राम	600 कैलोरी
5.	किशोरी बालिका कार्यक्रम 08 आकांक्षी जिलों (बड़वानी, छतरपुर, दमोह, गुना, खण्डवा, राजगढ़, सिंगरौली एवं विदिशा) में 14 से 18 वर्ष की आयुवर्ग की किशोरी बालिकाओं हेतु	रु. 9.50 प्रति हितग्राही प्रतिदिन	प्रत्येक सप्ताह जिला स्तर पर निर्धारित दिवस में 06 दिवस हेतु टेक होम राशन प्रदाय किया जाता है।	20-25 ग्राम	600 कैलोरी

(iv)पूरक पोषण आहार कार्यक्रम की सामुदायिक निगरानी (सहयोगिनी मातृ समिति)

आंगनवाड़ी केन्द्र में सेवाओं की प्रदायगी के दृष्टिगत प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र में सहयोगिनी मातृ समिति एवं मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों में उप समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। इस समिति को सतर्कता समिति घोषित किया गया है। उक्त समिति द्वारा आंगनवाड़ी स्तर पर प्रदाय, पोषण सेवाओं की सामुदायिक निगरानी किया जाना अपेक्षित है।

(v) परामर्श सेवाएं

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा दो प्रकार से परामर्श सेवा प्रदाय किया जाता है, प्रथम- केन्द्र स्तर पर सामुदायिक गतिविधि एवं द्वितीय- गृह भेंट द्वारा कर।

1. प्रत्येक मंगलवार को सामुदायिक गतिविधि के रुप में मंगल दिवस का आयोजन करना तथा पात्रता अनुसार हितग्राही समूहों के साथ-साथ सहयोगिनी मातृ समिति तथा महिला स्व-सहायता समूहों के सदस्यों, शौर्या दल सदस्यों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सम्मिलित कर हितग्राहियों एवं समुदाय से पोषण संवाद कर परामर्श देना।
2. पात्र हितग्राहियों को ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस (VHSND),गृहभेंट के दौरान अथवा वीडियो का उपयोग करते हुए आवश्यक परामर्श देना। वाट्सअप संदेशों के माध्यम से मातृ, नवजात एवं शिशु देखभाल एवं आहार पूर्ति संबंधी परामर्श देना।

(घ) मातृत्व कल्याण (प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना(PMMVY)) योजना

भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.01.2017 से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) प्रदेश के समस्त जिलों में 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013'के तहत संचालित है। मिशन शक्ति के 'सामर्थ्य'अंतर्गत योजनास्वरूप में परिवर्तन करते हुए नवीन प्रावधान अनुसार 01 अप्रैल, 2022 से किया जा रहा है।

योजना का उददेश्य

गर्भवती महिलाओं को मजदूरी की हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति के रुप में नकद प्रोत्साहन प्रदान करने के साथ-साथ द्वितीय प्रसव पर बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करना है।

प्रावधान

- प्रथम प्रसव पर राशि रु. 5,000 दो किश्तों में प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
- द्वितीय प्रसव बालिका जन्म पर राशि रु. 6,000 का लाभ एक किश्त में दिये जाने का प्रावधान है।

योजना अंतर्गत पात्रता

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाएं, 40 प्रतिशत/पूर्णत: दिव्यांग महिलाएं, गरीबी रेखा राशन कार्डधारी महिलाएं, आयुष्मान भारत अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की हितग्राही महिलाएं, ई-श्रम कार्डधारी महिलाएं, किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत लाभान्वित महिला हितग्राही, मनरेगा जॉब कार्डधारी महिलाएं, राशि रू 08 लाख प्रति वर्ष से कम पारिवारिक आय वाली महिलाएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं आशा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत राशन कार्ड रखने वाली महिलाएं।

आयोग का मत

आयोग का इस संबंध में मत है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक बैठक आयोजित कर जानकारी साझा की जाये तथा इस संबंध में जो भी नयी जानकारी या ज्ञान विकसित हुआ है उसका राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर उपयोग किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से आयोग के पास इस प्रकार की मानव संपदा होना चाहिए, जो नये अर्जित ज्ञान को प्राप्त कर योजना व राज्य हित में उसके उपयोग के विषय में अपना सुझाव दे सकें। अत: खाद्य आयोग के कार्यों में इस संबंध मेंथिंक टैंक (Think Tank) का भी कार्य अपेक्षित है।